जहां तक साफ-सफाई, इलेक्ट्रिफिकेशन इत्यादि का सवाल है, ये सभी चीजें हमारी प्रियॉरिटी पर हैं और हम इन्हें देख भी रहे हैं। यदि कुछ और शिकायतें भी हैं तो उनकी भी आवश्यक निरीक्षण करवाया जाएगा। मुझे आप लोगों का व्यापक समर्थन मिला, इसके लिए मैं एक बार पुन: आप सभी को धन्यवाद देता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वे रेलवे को वर्ष 2005-06 की अनुदान ...(व्यवधान)... अपना समर्थन दें ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं औरों को बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2005-06, for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2,3, and the Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं विधेयक को लौटाए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION

Public Distribution System in the Country

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Agriculture Minister to reply to the discussion raised by Shrimati Brinda Karat on the 14th December, 2005, on the Public Distribution System in the country.

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, कल इस सदन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा हुई। चर्चा का जो स्वरूप था, उसमें फूड सेक्योरिटी की समस्या कैसे हल हो सकती है और समाज का जो ऐसा वर्ग है, जिसे अनाज की अधिक आवश्यकता है, उन गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए जाने के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। जिस गंभीरता के साथ यह बहस हुई, उसे देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि आम

सदस्यों ने इस पूरी बहस को बहुत ही गंभीरता से लिया और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उन्हें मैं शुरू में ही धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, सभी सदस्य जानते हैं कि इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के ऊपर है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के सहयोग से अनाज का प्रोक्योरमेंट करना, स्टोरेज करना, ट्रांस्पोर्टेशन करना, राज्यों के लिए फूड ग्रेन का बल्क एलोकेशन करना। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है एलोकेशन विदिन स्टेट, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची बनाना, राशन कार्ड इशू करना, फेयर प्राइस शॉप चलाने की इजाजत देना और इन पर ठीक तरह से निगरानी करना। ये सब जिम्मेदारियां राज्य सरकारों की हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता कि आज हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत सी चीजें लोगों तक पहुंचाने की परिस्थिति में हैं। क्योंकि गेहूं, चावल, चीनी और केरोसीन इनका ही एलोकेशन यहां से होता है, मगर कुछ राज्यों ने इससे ज्यादा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है कि उन्होंने अपने राज्य में नमक, पल्सेस आदि आईटम देने के भी प्रयास किये हैं। यह वितरण प्रणाली बहुत पुरानी प्रणाली है। सेकेंड वर्ल्ड वार के जमाने से, इस देश में जो शार्टेजिज पैदा हुई थी, तब खास तौर पर नागरिक परिसर में लोगों को जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने का काम इस माध्यम से होता था। 1960 के बाद अपने देश में बड़े पैमाने पर नागरिक क्षेत्र में अनाज का बंटवारा करने का काम इस माध्यम से हुआ। जब देश में हरित क्रांति होने की प्रक्रिया शुरू हुई, अनाज की पैदावार भी बढ़ गई, तब आदिवासी क्षेत्र, जिन राज्यों में और जिन जिलों में सबसे ज्यादा गरीबी में रहने वाले लोगों की आबादी है, वहां अनाज देने का प्रबंध करने का काम शुरू किया गया। यह 1970 और 1980 के बीच की बात है। वर्ष 1992 से देश के 1772 ब्लॉकों में एक अलग तरह से वितरण करने की एक नई नीति अपनाई गई और 1997 से टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम, जिस सिस्टम के बारे में कल सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वह शुरू की गई ओर इसका उद्देश्य समाज का जो गरीब वर्ग है, जो गरीब हिस्सा है, उनके ऊपर हम किस तरह से ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। जब इस प्रणाली की शुरूआत की गई और इसमें खासतौर से अप्रैल, 2000 से बिलों पावर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 50 प्रतिशत इकानोमिक कॉस्ट पर दस किलो अनाज देने का प्रबंध किया गया और एपीएल परिवारों को इकानोमिक कॉस्ट पर, इस तरह से प्रति माह अनाज देने का, वितरण करने का काम शुरू किया गया। आज देश में अनाज की परिस्थिति बदली है और खासकर पिछले चार-पांच सालों में इसमें काफी बदलाव हुआ है। जब प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो गया, अनाज का उत्पादन ज्यादा हो गया, तब 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 किलो अनाज वितरण करने का काम इस देश में होता है, वह बीपीएल को भी होता है और जो अबोव पावर्टी लाइन के लोग हैं, उनको भी मिलता है। एक नई योजना अन्त्योदय शुरू की गई,

उन वर्गों को भी मिलता है। दिसम्बर, 2000 से अन्त्योदय योजना की शुरूआत की गई और इसका लाभ समाज का जो सबसे गरीब वर्ग है, इनको दिलाने का उद्देश्य इसमें था। इसकी शुरूआत एक हजार एक करोड़ लोगों से की गई और तीन बार इसमें बढ़ोत्तरी की गई और भारत सरकार का वर्ष 2005-06 का बजट है, इसमें यह संख्या ढाई करोड़ परिवार तक की गई। इस देश में बिलो पावर्टी लाइन में रहने वाली जो आबादी है, इसमें से 38 प्रतिशत लोगों की अन्त्योदय योजना का लाभ देने की परिस्थिति पैदा की गई है। जब टारगेटिड सिस्टम पर बहस इस सदन में हुई, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान कई माननीय सदस्यों ने दिया कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की व्याख्या क्या है? कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की व्याख्या क्या है? इस संबंध में कई सुझाव दिए गए, कई सुधार करने की भी बात की गयी। जब वृंदा जी ने इस बहस की शुरूआत की, तब उन्होंने 24 नवम्बर, 2005 का राज्य सभा का एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था, उसका जो उत्तर दिया गया, उसका रेफरेंस सदन में दिया। इसमें सवाल पूछा गया था कि, "whether Government consider the current poverty line decided by the Planning Commission to be appropriate in the present context;" और अन्य कुछ सवाल भी इसमें पूछे गए थे। इसमें जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था, उसमें सरकार ने अपनी नीति साफ सदन के सामने रखी थी। इसके जवाब में कहा गया था कि, "The present concept of poverty line is based on the per capita consumption expenditure needed to attain a minimum amount of calorie intake out of food consumption along with a minimum amount of non-food expenditure in order to meet the requirements of clothing, shelter, transport etc. The Planning Commission follows a uniform methodology for estimation of poverty across all the States. The present method used by the Planning Commission for estimation of proportion of people living below poverty line is based on the methodology recommended by the Expert Group on 'Estimation of Proportion and Number of Poor' (Lakdawala Committee). The Export Group, which was constituted in September, 1989, submitted its Report to the Planning Commission in July, 1993. A full Planning Commission meeting chaired by the Prime Minister in March, 1997 accepted the recommendations of the Expert Group with minor modification. Since then the estimates of poverty at national and state level are being made using the Expert Group methodology." यह बात साफ हो गयी है कि जो लक्कड़वाला कमेटी ने इस बारे में रिकमेंडेशंस की थी, उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार किया, प्लानिंग कमीशन ने किया। यहीं तक यह सीमित नहीं था। देश के सभी मुख्यमंत्रियों की परिषद् बुलायी गयी और मुख्यमंत्रियों की परिषद् में इस पर डिटेल्ड डिसकशन हुई और सभी मुख्यमंत्रियों ने इस संबंध में अपनी सहमति जताई। Total number of families

as per the Planning Commission (Poverty Estimate — 1993-94), and the Registrar General's Population Projection as on 1st March, 2000 के आधार पर कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन हैं, इसकी सूची तैयार की गयी और उस सूची के आधार पर अबव पॉवर्टी परिवार 11.52 करोड़ हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार 6.52 करोड़ हैं और इन 6.52 करोड़ में 2.50 करोड़ परिवार अंत्योदय योजना में आते हैं। इन्हें मिलाकर 18.4 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको अनाज देने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स ली है। परिवार की जो व्याख्या की है, इसमें 5.5 परसन इन वन फैमिली, वह करके ली है। सब कैलुकुलेशन करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश की कुल आबादी सौ करोड़ के आस-पास होती है, जो एपीएल, बीपीएल और एएवाई, इन तीनों योजनाओं में आते हैं। राज्य सरकार ने इससे अलग कदम उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि देश के ग्रेटल परिवार, जो एपीएल, बीपीएल में आते हैं, उनकी आबादी 18.4 करोड़ है मगर राज्य सरकारों ने जो राशन कार्ड्स का वितरण किया है, वह 22 करोड़ से ज्यादा है, यानी चार करोड़ चालीस लाख राशन कार्ड्स इस देश में राज्य सरकारों ने — प्लानिंग कमीशन ने जो फिगर तय की और जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया...जिस पॉलिसी की स्वीकृति मुख्यमंत्रियों की परिषद् में हुई। इसके ऊपर 4 करोड़ 40 लाख ज्यादा राशन कार्ड राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में लोगों को दिए हैं। कई बार इस सदन में चर्चा होती है कि डायवर्शन होता है, लोगों को अनाज नहीं मिलता है। इसमें एक बात साफ है कि अनाज का जो टोटल ऐलोकेशन भारत सरकार से राज्य सरकार को होता है, इसका बेस 18 करोड़ का है, जो प्लानिंग कमीशन ने हमें दिया है। इसके ऊपर चार-साढ़े चार करोड़, जो ज्यादा राशन कार्ड डिस्ट्रिब्यूट किए हैं, इनको अनाज देने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने नहीं स्वीकारी है। इसका परिणाम यह होता है कि राष्ट्र को, जब प्लानिंग कमीशन की डेफिनिशन के आधार पर अनाज का ऐलोकेशन होता है, वही अनाज ज्यादा लोगों को देने का प्रयास राज्य सरकार से होता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा राशन-कार्ड अपनी स्टेट में वितरित किए हैं। कई बार यह बात सामने आती है कि ये जो ज्यादा लोगों को अनाज जाता है, यह डाइवजर्न है। कहीं चोरी नहीं होती है, ऐसा नही है। कई जगहों पर गलत बातें होती हैं, बार-बार हमारे सामने बातें आती हैं, राशन की दुकानों में होती हैं, कुछ राज्यों में इससे ऊपरी लेवल पर भी हो गई। एक बार नॉर्थ-ईस्ट के कई राज्यों में इसमें बहुत गंभीर परिस्थिति पैदा हो सकती है, ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई, मगर ये जो ज्यादा राशन-कार्ड दिए हैं, इससे डाइवर्सिफिकेशन में ज्यादा मदद होगी, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।

काफी समस्याएं यहां पर रखी गईं और खास तौर पर वृंदा जी ने यहां बात रखी कि बी॰पी॰एल॰ की फैमिली तय करने की जो पॉलिसी है, इसमें ही सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसी बात उन्होंने कही। इस पर बार-बार बहस होती है। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि इन्होंने जो प्रस्ताव यहां रखा है, इसको स्वीकार करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यह अधिकार आज मुझे

नहीं है। इसकी नीति प्लानिंग कमीशन में तय होगी और मेरी तैयारी यह है कि प्लानिंग कमीशन के सीनियर ऑफिशियल्स, डिप्टी चेयरमैन और जिन सदस्यों की इसमे दिलचस्पी है, उन सदस्यों को लेकर हम एक संयुक्त मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, इस पर डीटेल्ड डिसकशन करने के लिए तैयार हैं और जहां कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए माननीय सांसदों की जो सूचनाएं आएंगी, उन सूचनाओं का अधिकार प्लानिंग कमीशन को बताकर, इसमें जो परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, उसको स्वीकार करने की तैयारी हमारी रहेगी, क्योंकि पूरे सदन की भावना थी कि समाज का गरीब वर्ग अनाज से दूर नहीं रहना चाहिए, अनाज मिलना उसका बेसिक अधिकार है और इस फूड सिक्योरिटी की समस्या दूर करने की जिम्मेदारी से हम दूर नहीं जाना चाहते। आज समस्या यह हो गई कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की आबादी क्या है? आज तक हम लोगों ने जो फिगर्स रखी थीं, वह देश की टोटल पॉपुलेशन के 36 परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसा समझकर हम लोगों ने सभी काम आज तक किए हैं, मगर अभी हमें जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन प्लानिंग कमीशन के माध्यम से मिला है, इसमें उन्होंने हमें साफ इनफॉर्म किया है, This is a communication dated 24th of June, 2005 from the Yojana Bhawan regarding a proposal to increase the number of BPL households under the TPDS. हम लोगों ने प्रपोज़ल दिया था कि जिन राज्यों ने ज्यादा राशन-कार्ड डिस्ट्रिब्यूट किए हैं, ऐसा समझकर इनको बी॰पी॰एल॰ की लिस्ट में स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसका जो जवाब आया था, उसमें उन्होंने लिखा है...

"Refixing the number of BPL households for the purpose of TPDS should involve not only the growth in population but also the change in the incidence of poverty. It would lead to an incorrect result if one parameter is changed but not the other. The poverty incidence, as per 55th NSS, *i.e.* 1999-2000, has come down sharply to 26 per cent. as compared to 36 per cent. in 1993-94. This position was conveyed to the Ministry of Rural Development for the purpose of conducting BPL Census for the Tenth Plan."

आज प्लानिंग कमीशन इस बात पर तैयार हो गया है, जो उनका सर्वे है, उसके मुताबिक उन्होंने हमारे सामने यह बात रखी है कि इस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाली पॉपुलेशन 36 परसेंट रहते हुए, आज वह 26 परसेंट है, फिर भी राशन कार्ड और अनाज का डिस्ट्रिब्यूशन 1993-94 पर 36 परसेंट जो बेस है, इस बेस के आधार पर ही हो रहा है। इसमें लोगों को क्या फायदा मिलता है, कई बार ऐसे बोलते हैं कि APL के लिए लोगों की सहमति नहीं है। जब हम अनाज प्रक्योर करते हैं, जो किसानों को मिनिमम प्राइज देते हैं, प्रक्योर करने के लिए जो कॉस्ट आती है, जो स्टोरिंग चार्जेज आते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज आते हैं, इसके ऊपर जो इनटरेस्ट लगता है, यह सब कैलकुलेट करके, हम लोगों ने सैन्ट्रल इश्यु प्राइस चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो,

इन सभी के तय किए हैं। इसमें इकनोमिक कॉस्ट भी तैयार की है। आज इकनोमिक कॉस्ट पर गेहूं का मूल्य 9 रुपीज एंड 82 पैसा प्रति किलो है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, यही गेहूं जो अबॉव पावर्टी लाइन लोग हैं, उनको भी हम 6 रुपए और 10 पैसे किलोग्राम के भाव से देते हैं, जिसमें 38 परसेंट सब्सिडी है। आज कई मान्यवर सदस्य ऐसा समझते हैं कि APL कैटेगरी में आने वाले लोगों को मार्किट रेट से मैटिरियल मिलता है, इसमें सच्चाई नहीं है। अबॉव पावर्टी लाइन में जिन लोगों को राशन कार्ड मिला है और जिनकी संख्या ज्यादा है, इन लोगों को भी इस डिस्ट्रिब्यूशन में जो गेहूं मिलता है, इसमें मार्किट रेट से 38 परसेंट सब्सिडी मिलती है और जो BPL परिवार हैं 9 रुपीज एंड 82 पैसा इकोनामिक कॉस्ट का जो गेहूं है, वही गेहूं उनको 4 रुपए 15 पैसे, यानी 58 परसेंट सब्सिडी BPL के परिवार को मिलती है। जो AAY परिवार में लोग आते हैं, जहां दो रुपए किलोग्राम में उनको गेहूं देते हैं, वहां 80 प्रतिशत सब्सिडी है। राइस की इकनोमिक कॉस्ट पर किलोग्राम 12 रुपए 86 पैसे है, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में वही चावल का रेट APL के लिए जो हम लेते हैं, 8 रुपए 30 पैसे, per kilo against 10 रुपए 86 पैसे, economic cost, 35 per cent. subsidy, BPL के लिए 5 रुपए 60 पैसे per kilo, 56 per cent. subsidy and AAY में जो लोग आते हैं, उनको 3 रुपए per kilo यानी 77 per cent. subsidy, इतनी बड़ी राहत आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जिन लोगों को आज हम अनाज का बंटवारा करते हैं, उन सभी वर्गों को मिलता है। BPL परिवार के जो सैंट्रल इश्यूज प्राइसेज के रेट्स हैं, ये रेट्स 25 जुलाई, 2000 से आज तक कायम हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। 25 जुलाई, 2000 से हर साल किसानों के लिए हम गेहूं या चावल की जो कीमत तय करते हैं, उससे इसमें वृद्धि होती है। यह वृद्धि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो गेहूं का बंटवारा हुआ है या चावल का बंटवारा हो रहा है, इसमें अभी तक रिबेट नहीं हुई है। इसलिए आज हमारा सब्सिडी का बर्डेन ज्यादा हो गया। मगर हमने जान-बूझकर इसे स्वीकार किया है। टीपीडीएस को 2004-05, इस साल में जो टोटल सब्सिडी दी गई, वह 20,339 करोड़ रुपए की दी गई। पिछले चार साल में आप देखेंगे, तो हर साल यह सब्सिडी बढ़ रही है और लास्ट ईयर यह सब्सिडी 20,339 करोड़ रुपए तक पहुंची है।

इस सदन में एक बात बतलाई गई कि ये दोनों कैटेगरी के जो अनाज हैं, इनका ऑफ-टेक कम है। यह बात ठीक है कि कई राज्यों में इनका ऑफ-टेक कम है। मगर जो एलोकेशन किया गया, इनके ऑफ-टेक में हर साल सुधार हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का टोटल डिस्ट्रिब्यूशन करने के बाद जो ऑफ-टेक हो रहा है, तो वह 2000-01 में 117 लाख टन था, 2001-02 में 135.67 लाख टन था, 2002-03 में 200 लाख टन हो गया, 2003-04 में 239.31 लाख टन हो गया और 2004-05 में, जो पिछला साल था, इसमें 292.77 लाख टन

इनका ऑफ-टेक हुआ है। इससे एक बात साबित होती है कि पिछले पांच सालों में 117 लाख टन से आज 292 लाख टन तक ऑफ-टेक हुआ है। यानी इस स्कीम के दिन-ब-दिन ज्यादा स्वीकार होने की परिस्थिति हमारे सामने आई है। इसमें एक बात साफ है, जिसका जिक्र जयराम रमेश जी ने किया था और यह बात बड़ी गम्भीर है। यह बात यह साबित करती है कि इस देश में कई राज्यों में यह ऑफ-टेक बड़ा अच्छा है। चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, ऐसे राज्यों में यह ऑफ-टेक 80 परसेंट से 92 परसेंट तक, कहीं-कहीं 100 परसेंट भी है। जिन राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है, चाहे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखण्ड है, ऐसे राज्यों में ऑफ-टेक बहुत कम है। इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है। इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने खुद बातचीत की है, डिटेल्ड डिसकसन किया है, इनके ऑफिसर लोगों के साथ बातचीत की है, क्योंकि जिन गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने के बाद जहां सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, वहां ऑफ-टेक कम होता है, इन राज्यों को अनाज का एलोकेशन ज्यादा के बावजूद माल कम उठाया जाता है यानी इन राज्यों को इसका लाभ कम मिलता है। इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

मैं सदन के सभी सदस्यों से, खास तौर से इन राज्यों से आने वाले सदस्यों से विनती करूंगा कि इस पर हम सभी लोगों को मिल कर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें सुधार होने की कोई परिस्थिति है।

टोटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर यहां डिसकसन हुआ, तब फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके कारोबार के बारे में भी कई सदस्यों ने अपनी विचार, सूचना सदन के सामने रखी। श्री गिल, सांसद ने देश की खेती की उत्पादन की समस्या यहां बताई, प्रोक्योरमेंट कम होता है, इस बारे में कुछ बातें कहीं और पिछले दो-तीन सालों में जो हमारा टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इस पर कुछ असर हो रहा है, यह बात भी उन्होंने यहां सदन के सामने रखी थीं। एक बात सच है कि लास्ट ईयर, पिछले साल टोटल एग्रीकल्चरल उत्पादन में कमियां आई थीं। क्योंकि पिछले दो साल इस देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर drought था फिर भी हमारा टोटल उत्पादन 2004-2005 में 204.61 मिलियन टन था और 1 अक्टूबर, 2005 तक देश में चावल का 245 लाख टन procurement हुआ। पिछले साल 1 अक्टूबर, 2004 में इसी चावल का procurement 228 लाख टन था यानी आज की परिस्थिति की जो बात सदन में कही गयी। आज की हमारी स्टॉक पोजीशन के बारे में सवाल उठाए गए। इस साल का चावल का procurement पिछले साल से आज की तारीख तक 20 लाख टन ज्यादा है और ज्यादा चावल मिलने की परिस्थिति मुझे अच्छी तरह से दिख रही है।

जहां तक गेहूं का procurement था, एक तो नया सीजन अभी शुरू होने वाला है,

Sowing operation अभी शुरू होने वाला है, इसलिए इस साल के गेहूं के आंकड़े देना मुश्किल होगा। इस के लिए और थोड़ी राह हमें देखनी पड़ेगी। मगर पिछले साल हमारा गेहूं का procurement थोड़ा कम हुआ था, यह बात साफ है।

फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने देश का जो टोटल फूड प्रोडक्शन है, उस में से 23 परसेंट गेहूं की procurement की और 29 परसेंट rice की procurement की। महोदय, आज जो देश की आवश्यकता है, उतना अनाज हमारे देश के भंडारों में पड़ा है, पर यह बात मैं सदन के सामने साफ करना चाहता हूं कि दो या तीन साल पहले इस देश में दो-दो, तीन-तीन साल तक भंडारों में जो अनाज पड़ा था, उस से बड़ा नुकसान होता था। आज इस बारे में हम ने थोड़ी दुरुस्ती की है। आज हम 6 महीने या 7 महीने से ज्यादा आवश्यक स्टॉक भंडारों में नहीं रखना चाहते। जो बफर स्टॉक के नॉर्म्स हैं, उन्हे मद्देनजर रखते हुए हम वहां आवश्यक उतना ही स्टॉक रखना चाहते हैं। इस से फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसर कम हो जाएगा, इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा, स्टोरिंग चार्जेज कम हो जाएंगे।

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Damage also.

6.00 P.M.

श्री शरद पवार: और डैमेज भी कम हो जाएगा। इस बारे में भी एक तरह से सुधार की परिस्थिति हो जाएगी।

महोदय, इस सदन क एक माननीय सदस्य ने एक बात कही कि पूरे देश में हमारी गेहूं और चावल के डिस्ट्रीब्यूशन की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है। यह बात सच नहीं है। जिन राज्यों में लोगों को चावल खाने की आदत है, वहां एक अलग परिमाण है। महोदय, देश का बंटवारा अलग-अलग राज्यों में किया गया है--States broadly categorised into three categories are as follows. The rice consuming States are: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Karnataka, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, West Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand, Jammu and Kashmir, Uttaranchal, Andaman and Nicobar, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Pondicherry and Goa. ये कैटगरीज broadly rice consuming के बारे में है। Rice and wheat consuming कुछ स्टेट्स हैं जिनमें बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं। Wheat consuming States में गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ आते हैं। ये तीन कैटेगरीज की गयी हैं। इन में से wheat consuming जो स्टेट्स हैं, इनमें हम 70 परसेंट wheat देते हैं और 30 परसेंट चावल देते हैं। Wheat and rice दोनों का consumption करने वाली स्टेट्स को 50 परसेंट गेहूं और 50 परसेंट चावल देते हैं और rice consuming जो स्टेट्स हैं, उन में 30 परसेंट गेहूं और 70 परसेंट चावल देते हैं।

साउथ के राज्यों की यह समस्या है, ऐसी बात यहां बतलायी गयी। इसमें जरूर अलग पॉलिसी या नीति हर राज्यों की फूड हैबिट्स को मद्दे नजर रखते हुए की गयी है और इस तरह से आज वहां डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। प्रोक्योरमेंट के बारे में यहां एक बात बतलाई गई है। यह बात सच है कि आज पूरे देश का सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। इन राज्यों ने बहुत बड़ा योगदान किया। देश की फूड सेक्योरिटी की समस्या हल करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, खास तौर पर वेस्टर्न यू॰पी॰, इनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। मगर इसमें कई समस्याएं भी पैदा हुई हैं। इन राज्यों की जमीन पर क्या समस्या हो गई है, खेती पर क्या परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसका जिक्र संसद सदस्य श्रीमान् गिल जी ने किया था। इस पर मैं बाद में बोलूंगा, मगर हम पूरी तरह से प्रोक्योरमेंट हरियाणा-पंजाब से करते हैं और समझिए कि हरियाणा-पंजाब में प्रोक्योर किया गया चावल हम जब तमिलनाडु में भेजते हैं, केरल में भेजते हैं, तब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री पर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा बोझ आता है। रेट सिस्टम पर भी बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। इसमें सुधार करना हो और अन्य राज्यों के किसानों को भी मिनिमम सपोर्ट प्राईस देने का इंतजाम करना हो, तो डिसेन्ट्रलाइज़्ड मैनर प्रोक्योरमेंट को ज्यादा समर्थन-सहयोग देने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि कई राज्यों में इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया और आज देश में 9 या 10 से ज्यादा स्टेट्स अच्छी तरह से प्रोक्योरमेंट में शामिल हो गई हैं, जिनमें तमिलनाडु है, आन्ध्र प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसी कई स्टेट्स, हमारा ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट का जो एरिया है, इसके बाहर के राज्य आज इसमें आ रहे हैं। मुझे और खुशी है कि वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा गम्भीरता से यह समस्या ले ली। वहां हम हाइएस्ट लेवेल पर किसी तरह ज्यादा प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया गया। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर ज्यादा दिलचस्पी ली है और अपने राज्य में ज्यादा प्रोक्योरमेंट कैसे हो सकता है, इस पर कई कदम उन्होंने उठाए हैं। इसमें एक छोटी-मोटी समस्या रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह समस्या हम हल करेंगे, 2-3 दिनों में हल करेंगे। वहां के किसानों को एम॰एस॰पी॰ ठीक तरह से मिलने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं, हम वह करने के लिए पूरी तरह से सहयोग देंगे। इसमें हमारा फायदा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हम जितना प्रोक्योरमेंट करेंगे, वहां से हम सरप्लस राइस नॉर्थ-ईस्ट भेज सकते हैं। आज हरियाणा या पंजाब से सरप्लस राइस नॉर्थ-ईस्ट में भेजना है, इसका जो ट्रांसपोर्ट-कॉस्ट है, वह 100 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा है। इसीलिए फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की एफिसिएंशी बढ़ाने के लिए और उसके लॉसेज़ को कम करने के लिए भी इससे फायदा जरूर हो जाएगा। हमारा इस पर पूरी तरह से ध्यान होगा।

एक बात और यहां कही गई कि हरियाणा-पंजाब जैसे राज्यों ने अब तक गेहूं और चावल की पैदावारी कर ली। बाकी राज्यों में कॉमर्शियल क्रॉप्स लेने की आदत पड़ रही है। हमें क्यों नहीं

बदलने की आवश्यकता है? मेरा साफ कहना है कि हरियाणा-पंजाब जैसे राज्यों ने बार-बार राईस-व्हीट, राईस-व्हीट इस तरह की फसल लेने से इनकी जमीन का नुकसान हुआ है। इसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है और इसलिए गेहूं और चावल की पैदावार करने की आवश्यकता है, मगर गेहूं और चावल की पैदावार के साथ-साथ वहां अन्य फसल लेने की आवश्यकता भी है।

एक बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि कई बार हम यह कहते हैं कि हम यहां से चावल दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मगर मैं सदन के सामने एक छोटी-सी बात लाना चाहता हूं कि आज एक किलोग्राम चावल बनाने के लिए, जो शॉर्ट डयूरेशन वेरायटी हो, उसके एक किलो के लिए 3000 लीटर पानी लगता है और लांग डयूरेशन की जो वेरायटी है, उसका एक किलो चावल बनाने के लिए 5000 लीटर पानी लगता हैं जब हम एक किलोग्राम चावल विदेश भेजते हैं, तब हम 5000 लीटर पानी भी विदेश भेजते हैं, इस परिस्थिति को हम नजरंदाज़ नहीं कर सकते। आज अपने जैसे देश में किसी फसल में इतने पानी का इस्तेमाल करना, यह स्थिति इस देश में नहीं हैं इसलिए इतने पानी का इस्तेमाल करने से जमीन की स्थिति खसब होती है। किसानों का नुकसान ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसलिए पंजाब और हरियाणा में वहां की स्टेट गवर्नमेंट को विश्वास में लेकर क्रोप डायवर्सन में ध्यान देने की आवश्यकता है और यह ध्यान देते समय अन्य राज्यों में गेंहू और चावल की पैदावार कैसे बढ़ेगी, इसके लिए भी ज्यादा ध्यान देने की तैयारी हम लोगों ने आज कर रखी है। मैं तो इस बारे में सोचता हूं कि जब मैं हरियाणा में चावल प्रोक्योर करने के बाद तमिलनाडु में भेजता हूं, तो उस पर सौ रुपए ज्यादा ट्रांसपोर्ट कोस्ट पड़ती है। अगर इतनी रकम हम तमिलनाडु के किसानों को दें, तो शायद उनको इन्सेंटिव मिल सकता है। अगर हमने सदर्न स्टेट्स के किसानों की यह मदद की, तो उनको इन्सेंटिव मिल सकता है और रेलवे सिस्टम पर जो एक बोझ बढ़ता है, वह बोझ भी कम हो सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ हरियाणा और पंजाब को लेनी होगी, जिससे यह जो बात हम पिछले कई सालों से सोच रहे हैं, उससे स्थिति दुरुस्त होगी।

उपसभापति जी, एक सवाल यहां उठाया गया कि दो साल पहले या तीन साल पहले जो अनाज एक्सपोर्ट किया गया, वह गलत किया। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े स्टॉक थे और इतने बड़े स्टॉक अपने यहां रखने से अनाज का नुकसान होता था। उस नुकसान को देखने के बाद यह एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता थी। इसलिए वह जो काम किया गया, वह ठीक तरह से किया गया था।

महोदय, यहां सदन में फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में एक सवाल पूछा गया था। एक तो शरद जोशी साहब ने यह कहा कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को ही समाप्त करिए। इनका यह जो सुझाव है, इसे स्वीकार करना बिल्कुल ही पोसिबल नहीं है, क्योंकि इस देश में जब तक हमें फूड की स्क्योरिटी लोगों को देना है, अनाज का डिस्ट्रिब्यूशन करना है, पब्लिक

डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम हम लोगों को कंटीन्यू करना है, गरीब लोगों को इसमें मदद करनी है, तो हमें फूड डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के साथ साथ फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को भी मजबूत करना होगा। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो पोसिबिलिटी है, जो आवश्यकता है, उसे पूरा करने की हमारी तैयारी रहेगी। सवाल यह भी पूछा गया कि आपने मैकेन्जी की जो कमेटी अपायंट की थी, उसका क्या हुआ? यह सच है कि मैकेन्जी की कमेटी अपायंट की थी, मगर मैकेन्जी की कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में इसका प्राइवेटाइजेशन करना या और कुछ करना, यह बात बिल्कुल सामने नहीं रही, हमारे सामने इतना है कि इसकी परफोरमेन्स कैसे इम्प्रूव हो सकती है। मैकेन्जी ने इस बारे में यह सजेशन दिया कि "FCI should adopt a multi-tier structure and reduce its working capital borrowing". उनको यह जो सुझाव दिया था, इसको हमने स्वीकार किया। हम हमेशा बैंक से पैसे लेते थे और बैंक से जब हजारों करोड़ रुपए लेते थे, तो इसका इंटरेस्ट 8 परसेंट, 9 परसेंट तक होता था, भारत सरकार की फाइनेन्स मिनिस्टरी से हमने बोंड्स निकालने की इजाजत ली और 8000 करोड़ के बोंड्स निकाले। इन 8000 करोड़ के बोंड्स निकालने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 7.2 परसेंट पर पैसा मिल गया। इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 9 परसेंट से 7 परसेंट हो गया, जिससे हमारा 2 परसेंट का सेविंग हो गया। यह 2 परसेंट का सेविंग होने के बाद बड़े पैमाने पर इससे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को मदद हो गई। ऐसे कई सुझाव उन्होंने दिये हैं, जैसे-"The Ministry should release in July itself the advance subsidy due in October and December". और "FCI should use more efficient methodology to move foodgrains from Punjab and Haryana to deficit States". इस तरह से उन्होंने आठ, नौ, दस सुझाव दिए हैं। हर सुझाव पर हम एक्शन्स ले रहे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे स्थिति दुरुस्त हो जाएगी। इसे दुरुस्त करने के लिए हमारा ध्यान इस ओर है और इसमें फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में जितने सुधार करने की आवश्यकता है, वे सुधार इसमें किए जाएंगे।

महोदय, यहां एक सवाल पूछा गया कि आज जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का लास्ट सेंटर है-फेयर प्राइस शॉप, इस पर कोई सुपरविजन नहीं है। यह बात सच नहीं है। देश के सभी राज्यों को यहां से यह सूचना दी गई थी कि शॉप लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर कमेटीज की आवश्यकता है, जो इसके कारोबार के ऊपर निगरानी रख सकें। सब राज्यों ने इस बारे में कमेटी एपाइंट करने का काम किया। कुछ जगहों पर इस कमेटी की मीटिंग होती नहीं, कई राज्यों में कमेटी की मीटिंग होती नहीं, इस पर वे ध्यान नहीं देते, ऐसी शिकायतें आती हैं, मगर यह विजिलैंस कमेटी ग्राम, ब्लॉक, जिला, स्टेट, सभी जगह पर है और कई जगहों पर जो गलत काम होता है, उस पर कई राज्यों ने सख्ती से कदम भी उठाए हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ एक्शंस लिए गए हैं, जो कमेटी ऐप्वाइंट की गई है, उसकी पूरी सूची मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं ताकि सदस्यों को इसकी मालूमात हो सके कि उनके अपने

राज्य में इस बारे में क्या हो रहा है। साथ-साथ इसमें दुरुस्ती करने के लिए पिछले साल कई कदम उठाए गए हैं। फूड सैक्रेटरीज की मीटिंग की गई, फूड मिनिस्टर्स की मीटिंग, फिर सम्मेलन किया गया। सदन ने, यहां से आदेश दिया गया था कि आप मैम्बरज ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाइए। मैम्बरज ऑफ पार्लियामेंट की एक मीटिंग दिसम्बर, 2004 में बुलाई गई, जिसमें 250 से ज्यादा सांसद मौजूद थे और उन्होंने कई अच्छे सुझाव हमारे सामने रखे। सैक्रेटरीज कमेटी की मीटिंग में जो सुझाव आए, फुड मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो सुझाव आए और मैम्बरज ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग में जो सुझाव आए, उनके बारे में हमने क्या-क्या कदम उठाए हैं, इसकी भी एक पूरी सूची तैयार करके मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, हर सदस्य को भेजना चाहता हूं, जिससे आप सभी सदस्यों को एक अंदाजा होगा कि हम इस बारे में आज क्या कर सकते हैं।

एक सवाल यह पूछा गया कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का काम करने वाली जो फेयर प्राइस शाप्स हैं, इनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं की जो संस्थाएं हैं, उनको प्रियारिटी देने की आवश्यकता है, इस तरह की सूचना हमने सब राज्यों को दी है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में वहां की सरकार ने टोटल जो शाप्स हैं, उन शाप्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और सहकारी समितियों को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अलाटमेंट किया। उस राज्य में दस हजार से ज्यादा दुकानें संचालित हैं, जिनमें से 3404 दुकानें उन्होंने ग्राम पंचायतों को दे दी हैं, 2753 दुकानें गांवों में, विलेज में जो कोआपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एग्रीकल्चर कोआपरेटिव सोसाइटी को दी गईं, 1587 दुकानें उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो महिलाओं का है, उनको दी हैं और 243 दुकानें वहां जंगल में जो वन सुरक्षा समिति है, उनको दे दी हैं और 2032 दुकानें अन्य सहकारी समितियों को या एजेंसियों को दी हैं। यानी कोआपरेटिव डिस्ट्रिब्यूशन का काम इस राज्य ने प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आफ वूमन, ग्राम पंचायत और वन सुरक्षा समिति के हाथों में दिया है और अभी तक जो इन्फारमेशन हमें मिल रही है, उसके अनुसार इससे इस कारोबार में सुधार हो रहा है। मैं देश के बाकी राज्यों को भी इस तरह की सूचना देना चाहता हूं कि दुकानें ज्यादा से ज्यादा, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, चाहे कोआपरेटिव सोसाइटी हो, उनको दी जाएं, इससे इसमें फर्क पड़ जाएगा।

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): No, Sir. It is a loss-making proposition for women. We have tried it in many States. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD PAWAR: Especially the experience of Chhattisgarh, whatever information we had got, we checked it.

यह सही बात है कि इसमें थोड़ी-बहुत कमी है, कई दुकानों को नुकसान होता है, यह बात सच है क्योंकि जिस तरह से आजकल माल का उठाव होना चाहिए, उतना उठाव होता नहीं है।

दूसरी बात है कि आज हम चार ही चीजें दुकानों में बेचते हैं और इन चार चीजों से उनको दुकान चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उनको बाकी चीजें बेचने के लिए इजाजत दी जानी चाहिए, यह उनकी मांग थी, यह स्वीकार की जानी चाहिए। हमने तो इसमें और कई सुधार करने के लिए कोशिश की थी, अभी तक हमें बाकी मंत्रालयों से सहयोग नहीं मिला। हम तो यह चाहते थे कि इन दुकानों के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने दुकान दे दी, उसके साथ-साथ उस गांव का एसटीडी का काम उनको देना चाहिए, अभी तक वह स्वीकार नहीं हुआ। हम यह भी चाहते है कि गैस ऐलोकेशन, सिलेंडर ऐलोकेशन का काम भी उनको दिया जाए, इससे उनकी इन्कम बढ़ेगी और वायब्लिटी बढ़ेगी। इस पर अन्य मंत्रालयों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। और मुझे विश्वास है कि इस बारे में हम जल्द से जल्द कुछ न कुछ कामयाबी प्राप्त करने की तरफ ध्यान देंगे। इससे ज्यादा इस पर बोलने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता ।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय (गुजरात): जवाब दीजिए ...(**व्यवधान**)... जब तक आप जवाब नहीं देंगे, तब कुछ भी नहीं होगा, यहां पर तो भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा, किसी की जवाबदेही तो तय करनी ही होगी ...(**व्यवधान**)... आप डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर की जवाबदेही करवाने की बात कीजिए, तभी भ्रष्टाचार ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: देखिए हर गांव में शॉप पर कमेटी एपॉइंट करने की बात की गई है, स्टेट कमेटी बनाने की भी बात है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उसे राज्यों ने नहीं बनाया है ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: मुझे कल यह तथ्य समझ आया है कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है, इसके लिए हम उनसे बात करेंगे। लेकिन यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इस बारे में उन्हें पूरी गाइडलाइन दी गई है। हम इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि डायवर्शन नहीं होना चाहिए। कई राज्यों ने इस पर सख्ती से कदम भी उठाया है, केसिज किए हैं, कुछ राज्यों ने तो लोगों को अरेस्ट तक करने का काम भी किया है।

मैं इस चीज को भी स्वीकार करना चाहता हूं कि इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं इस बारे में फिर से राज्य सरकारों से बात करूंगा, जिससे यह भ्रष्टाचार कम हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, और गरीब लोगों की किस तरह से मदद की जा सकती है साथ ही साथ जो अनाज हम देते हैं, वह लोगों तक कैसे पहुंचे, इन सब पर भी हम ध्यान देंगे। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)

श्री उपसभापति: मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से इस बारे में जवाब दिया है ...(**व्यवधान**)

Please ask one by one ...(*Interruptions*) Please sit down, ...(*Interruptions*) आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)

श्रीमती वृंदा कारत: मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं और मुझे मालूम है, केवल उनके आज के जवाब से ही नहीं, हम लोगों ने जब बंगाल की तरफ से प्रोक्योरमेंट के सवाल पर, एफसीआई गोदाम के सवाल पर, जिम्मेदारी लेने के सवाल पर, उनसे बातचीत की, तब हमने देखा कि बहुत ही अधिक संवेदनशीलता के साथ उन्होंने हमारी तमाम समस्याओं पर ध्यान दिया। आज उनके जवाबी वक्तव्य में यह बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि वाकई वे इन तमाम समस्याओं को लेकर बहुत चिन्तित हैं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि पूरे हाउस की जो फीलिंग थी और इसके बारे में जो एक समझ थी, उसे मंत्री जी ने एड्रेस करने की पूरी कोशिश की।

सर, मेरे तीन मुख्य सवाल हैं। पहला यह कि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बीपीएल के सवाल पर उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हाउस की सेन्स को देखते हुए उन्होंने स्वयं जिम्मेदारी ली कि हम प्लानिंग कमीशन के डिपुटी चेयरमैन के साथ मीटिंग बुलाएंगे और जो भी सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वे उस मीटिंग में आ सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं उसकी प्रशंसा करती हूं, लेकिन, सर, उसका लीगल स्टेटस क्या है या उसका ऑफिशियल स्टेटस क्या है? हम लोग बहस बढ़ाने के लिए एक डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वह यह है कि बीपीएल की लाइनों के कारण आज करोड़ों की तादाद में हमारी गरीब जनता को बीपीएल कार्ड की राहत से वंचित रखा जा रहा है, उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि खुद अपने मंत्रालय की पहलकदमी के आधार पर, वे इस बीपीएल का जो पूरा घपला है, सर, मैं उसके लिए इस घपला शब्द का जान-बूझ कर इस्तेमाल कर रही हूं, इस घपले को समाप्त करने के लिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी। उसके बारे में यदि वे कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं तो अवश्य उठाएं, मुझे मालूम नहीं कि एक मंत्री की हैसियत से वे क्या-क्या कैबिनेट में रख सकते हैं, या वे किस रूप में इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहला आग्रह यही है।

दूसरी बात, सार्वजनिक प्रणाली के यूनिवर्सलाइजेशन का जो सवाल है, टार्गेटिंग का जो सवाल है, खुद सरकार की नियुक्त की गई अभिजीत सेन कमेटी ने जो सिफारिश दीं और कहा कि हमारे देश में टार्गेटिंग पूर्ण रूप से फेल है, लेकिन, सर, हम यह कहते हैं कि वर्ष 1997 से 2005 तक रिव्यू के लिए मैं सिर्फ यह आग्रह करती रही हूं कि क्या यह टार्गेटिंग के बजाए, अगर माननीय मंत्री महोदय यूनिवर्सलाइजेशन के लिए यहां पर यह जवाब दें कि इसके बारे में, इसके विचार के बारे में, इसकी कंसिडरेशन के बारे में अभिजीत सेन कमेटी की सिफारिशों के बारे में उनका मंत्रालय क्या सोच रहा है, यह मैं जानना चाहती हूं। सर, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। अभी फेयर प्राइस शाप्स की वायबिलिटी की बात आई है। सर, मैं कहना चाहती हूं कि हम लोग भी महिलाओं के सेल्फ हैल्प ग्रुप्स के साथ दिन-रात काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि जो भी लॉस मेकिंग है, जहां मुनाफा नहीं है, जहां घाटा है, जहां फेलियर है, वहां बिगेस्ट सबसिडी

की महिलाओं को कहें कि खुद बचत करें, तुम्हारी अपनी बचत के आधार पर इसको चलाओ। मैं कहती हूं कि हम लोग ऐक्सपेरीमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मामले में सिफारिश की कि हर फेयर प्राइस शाप की मार्जन बढ़ाने के लिए कुछ मुनाफे का एक मादा तैयार करें। अगर वे तमाम सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को आदेश दें कि हां, आपका एक प्रोफिट मार्जन हम गांरटी करते हैं, सरकार इसकी गांरटी करती है, तो देश की महिलाओं के तमाम सेल्फ हैल्प ग्रुप्स जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार होंगे। लेकिन घाटे के रूप में मैं समझती हूं कि एक बहुत मिश्रित रिकार्ड है। सर, इसके बारे में थोड़ा विचार किया जाये और मॉडल के रूप में उसको पेश नहीं किया जाये।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जायें, तो दो-दो मिनट में हो जायेगा। ...(**व्यवधान**)... Mr. Narayanan, please seek only clarifications ...(*Interruptions*)...

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir. Tamil Nadu has suffered major catastrophic situations in the last one year. We had tsunami followed by three cyclones ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You seek your clarifications because you have already spoken ...(*Interruptions*)...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, paddy crop in Thanjavur district, the rice bowl of the State, has been totally damaged. Our CM has urged upon the Centre for 2.58 lakh tonnes of rice. This quantum of rice should be rushed to the State. This can be used under the Food-For-Work Programme by repairing massive damage that has been caused to the physical infrastructure in the State. Considering this urgency and special circumstances, will the hon. Minister come forward to take steps to allow this quantum immediately to meet the demands of the flood affected people in the State?

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Sir, I have one clarification to seek.

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Some Members are objecting and some Members are seeking clarifications ..(*Interruptions*)... I cannot start one more round of discussion. ..(*Interruptions*)... Please. नहीं, नहीं आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)... कितने क्लेरिफिकेशन्स पूछेंगे। यह क्या है? ...(**व्यवधान**)... देखिये, जो बात वह कहते हैं, उनका क्लेरिफिकेशन, हर बात का क्लेरिफिकेशन नामुमकिन है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: उपसभापति महोदय, मैंने जो स्पीच में कहा था, उसका उत्तर नहीं मिला है। महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूछ लेता हूं। महोदय मैं आपकी अनुमति से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी विगत दिनों में रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत आपने यह मेंडेटरी कर दिया है, इस सरकार ने मेंडेटरी कर दिया है कि सोशल ऑडिट का प्रावधान ग्राम सभा स्तर पर होगा। आपने भी कहा कि विजीलेंस कमेटियों का उसमें प्रावधान है, लेकिन कई स्टेट्स हैं जहां विजीलेंस कमेटी एग्जिस्ट नही करती है, न ग्राम पंचायत स्तर पर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उन्होंने कहा कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या आप इसमें कोई ऐसा प्रावधान करेंगे, जिससे कि मेंडेटरी हो जाये, हर स्टेट की मजबूरी हो जाये कि हर स्तर पर विजीलेंस कमेटियों का फॉरमेशन होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Sir, the hon. Minister mentioned that the number of those families who are benefited from rationing system is 18 crores. He also mentioned that the average size of the family is 5.5. He himself mentioned that the number of people thus covered is about 100 crores! On other hand, he said that the proportion of population covered by the rationing system is as per his Ministry 35 per cent, but as the Planning Commission says it is 25 per cent. There are some figures that do not gel.

श्रीमती बिम्बा रायकर: सर, मंत्री जी ने गेहूं के बारे में और चावल के बारे में बहुत अच्छी तरह से बोला है, लेकिन इनको पकाने के लिए केरोसीन चाहिए। केरोसीन के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अच्छा, अच्छा बोलेंगे। केरोसीन की बात हुई थी।

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I am aware about the problems which Tamil Nadu are facing. In fact, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has brought this to my notice. And there was a request that we should build up a rice stock in Tamil Nadu. We have taken immediate action and we have started giving additional rakes to Tamil Nadu. There is a regular interaction between the Chief Secretary of the Government of Tamil Nadu and the Food Secretary of the Government of India. I myself also keep a very close contact with the hon. Chief Minister of Tamil Nadu and we always discuss. So, we are going to solve the problem.

There was a second request from the hon. Chief Minister of Tamil Nadu for allotment of additional 10,000 K.L. of kerosene.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Sir, the hon. Chief Minister has asked for 43,000 K.L. of kerosene, not 10,000 K.L.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, it was 43,000 K.L., not 10,000 K.L.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, 10,000 K.L. of kerosene has been allotted. The State has also been communicated, 'you lift this 10,000 K.L. first. Then, we will give you additional 10,000 K.L. and like that.' So, there is no problem for that also.

Regarding the issue raised by Shri Sharad Joshi, I would submit that as on today we have accepted 36 per cent population as Below the Poverty Line. The Planning Commission has set a communication to us stating that 26 per cent be considered as Below Poverty Line. But, we have accepted 36 per cent and whatever Ration Cards issued and accepted is on the basis of 36 per cent.

Then, Sir, three issues have been raised by Shrimati Brinda Karat. The first one is regarding the meeting with the Planning Commission. I think, in that meeting, suppose, ultimately, if we come to a conclusion that we should appoint a Committee with a definite Terms of Reference. I have no objection. But, that decision would be taken in that meeting.

Secondly, she asked about the viability of the Fair Price Shops. It is true that certain States have taken certain decision. But, there are also complaints. In some of the States running Fair Price Shop is not at all possible. It is not at all viable. So, unless and until we provide some other things, I don't think the viability improves. From that angle, we are ready to look into the matter. जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के यूनिवर्सलाइजेशन करने की बात है, आज टीपीडीएस की टोटल अप्रोच है, टारगेटिड अप्रोच है, समाज के सबसे ज्यादा गरीब लोगों के हितों की रक्षा करना। आज बीस हजार करोड़ की जो सब्सिडी दी जाती है, इस बीस हजार करोड़ में से सबसे ज्यादा सब्सिडी इन गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए दी जाती है। हमारे लिए यूनीफॉर्म सब्सिडी देना आसान नहीं होगा इसलिए जिन्हें आवश्यकता है, उन्हीं को सब्सिडी देकर अनाज देने का प्रबंध करना, इसकी आज जरूरत है और इस पर आज ध्यान दिया गया है। As of today, I am not in a position to accept the suggestion of universalisation of the TPDS.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow, the 16th December, 2005.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 16th December, 2005.

MGIPMRND—6782RS—10-06-2006.